

नेशनल लोक अदालत खण्डपीठ क्र०-1 पामगढ़
जिला जांजगीर चांपा (छ०ग०)

दांडिक प्रकरण क्रमांक — 1044 / 2022
थाना — मुलमुला, अपराध क्र० — 247 / 2022
संस्थित दिनांक — 27 / 10 / 2022

छ.ग. शासन,

द्वारा आरक्षी केन्द्र मुलमुला,

जिला-जांजगीर चांपा (छ.ग.)

..... अभियोजन

// विरुद्ध //

1. गोपीचंद उर्फ भोलाराम पिता स्व० पुशऊराम भारद्वाज उम्र 74 वर्ष,

2. श्रीमती ईतवाराबाई पति गोपीचंद भारद्वाज उम्र 72 वर्ष,

सभी साकिन झलमला, थाना- मुलमुला, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

..... अभियुक्तगण

// अधिनिर्णय //

दिनांक 12 / 11 / 2022

(लोक अदालत खण्डपीठ द्वारा पारित अवार्ड)

प्रार्थी/आहतगण एवं अभियुक्तगण द्वारा संयुक्त रूप से समझौता आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिस पर उभयपक्ष द्वारा बिना किसी डर या दबाव के स्वेच्छयापूर्वक समझौता किये जाने का अभिकथन किया गया है। प्रार्थी/आहतगण ने अभियुक्तगण से बिना किसी डर, दबाव के राजीनामा होना बताया है।

अतः अभियुक्तगण एवं प्रार्थी/आहतगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा आवेदन स्वीकार कर अभियुक्तगण को राजीनामा के फलस्वरूप धारा — 294, 506, 323, 34 भा०द०सं० के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है तथा जमानत मुचलका निरस्त किया जाता है।

प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति एक नग जंगली लकड़ी का लाठी मुल्यहीन होने से नष्ट किया जावे।

पक्षकार को अधिनिर्णय/आदेश की प्रति निःशुल्क प्रदान की जावे।

ब्रजेश सिंह
खंडपीठ सदस्य

अंशुल मिंज
पीठासीन अधिकारी
नेशनल लोक अदालत
खंडपीठ क्र०-1 पामगढ़